न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी

राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 मुकाम भिनाय

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./1/2022

1. देबीसिंह पुत्र स्व0 बालूराम जाति मीणा निवासी बनेड़िया तहसील भिनाय अजमेर
2. सोरता पुत्री स्व0 बालूराम जाति मीणा निवासी बनेड़िया तहसील भिनाय अजमेर
3. कैलाशी पुत्री स्व0 बालूराम जाति मीणा निवासी बनेड़िया तहसील भिनाय अजमेर
4. गुड्डी पुत्री स्व0 बालूराम जाति मीणा निवासी बनेड़िया तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:–13.08.2022

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– धर्मवीर बामणियां
2. पैरोकार सरकार

प्रार्थी ने इस प्रार्थना–पत्र में सारांशः निवेदन किया है कि **मौजा बनेड़िया पटवार मण्ड़ल हियालियां भू0 अभिलेख क्षेत्र एकलसिंहा तहसील भिनाय जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता सं0 48 में दर्ज आराजी ख.न. 48 रकबा 0.24 है0 एवं ख0न0 49 रकबा 0.20 कुल किता–2 कुल रकबा 0.44 है0** भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण की जाति रावत दर्ज हो गयी है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थीगण का सही जाति मीणा है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगणों की सही जाति दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। उभयपक्षकारान उपस्थित। उभयपक्षकारान को सुना गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाने बाबत् निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा कथन किये गये कि संग्लन राजस्व जमाबन्दी अनुसार प्रकरण में पक्षकार पूर्ण नहीं है। प्रार्थीगणों द्वारा पत्रावली में वर्तमान जमाबन्दी एवं पहचान के दस्तावेजात संलग्न किये गये। प्रार्थीगणों द्वारा ऐसे कोई भी दस्तावेज अथवा राजस्व जमाबन्दी संलग्न नहीं की गई हैं, जिससे साबित होता हो की राजस्व कार्मिकों के द्वारा भूलवश या अन्य लिपिकीय त्रुटि के कारण वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीगणों की जाति मीणा के स्थान पर रावत अंकित कर दी गई।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में वर्णित कथनों को दोहराते हुए, प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किये कि प्रार्थीगणों द्वारा ऐसे कोई भी दस्तावेज अथवा राजस्व जमाबन्दी रिकॉर्ड संलग्न नहीं किया गया हैं, जिससे साबित होता हो की राजस्व कार्मिकों के द्वारा भूलवश या अन्य लिपिकीय त्रुटि के कारण वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीगणों की जाति मीणा के स्थान पर रावत अंकित कर दी गई। उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली में वर्णित तथ्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:52:03 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(त... ...ति)
... जिला-अजमेर

Scanned with CamScanner

तथा राजस्व रिकॉर्ड बाबत् संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम बोरेदिया का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ऐसे कोई भी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे, जिससे प्रार्थना-पत्र में वर्णित कथनों की पुष्टि होती हो कि पूर्व में राजस्व जमाबन्दी में प्रार्थीगणों की जाति मीणा अंकित थी, तथा बाद में किसी कारण-वश जाति रावत अंकित कर दी गई। राजस्व रिकॉर्ड बाबत संलग्न राजस्व जमाबन्दी एवं वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार के तर्कों, जवाब के अवलोकन एवं मनन उपरान्त बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अनुतोष योग्य ना होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत

(कविता राणावत)
अध्यक्ष
रा0 लोक अदालत

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:52:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner